

**बोर्ड, परिषद, समितियों और अन्य एन सी एच एम सी टी के भाग के रूप में गठित संस्थाओं का विवरण**

एन सी एच एम सी टी सोसायटी

राष्ट्रीय परिषद होटल मैनेजमेंट सोसायटी के संविधान निम्नलिखित है:

1	मंत्री-प्रभारी प्रशासनिक विभाग संबंधित	अध्यक्ष
2	प्रशासनिक विभाग में उप मंत्री और अगर वहाँ ऐसे कोई मंत्री नहीं हैं, अन्य व्यक्ति के रूप में अध्यक्ष द्वारा नामित किया जा सकता है	उपाध्यक्ष
3	भारत सरकार के प्रतिनिधि क) सचिव (पर्यटन) ख) अपर महानिदेशक (पर्यटन) ग) अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध-निदेशक, आईटीडीसी घ) निदेशक, आईआईटीएम	सदस्य
4	मंत्रियों/सचिवों शिक्षा और केंद्र सरकार में श्रम विभाग के प्रभारी	सदस्य
5	संबंधित राज्यों की सरकारों के प्रतिनिधि जिसमें संबद्ध संस्थान स्थित हैं (राज्यों के पर्यटन के सभी सचिवों जिसमें आईएचएम एस स्थित हैं)	सदस्य
6	सोसायटी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष संबद्ध संस्थानों के प्रबन्धक	सदस्य
7	राष्ट्रीय परिषद होटल मैनेजमेंट के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष	सदस्य
8	संबंधित प्रशासनिक विभाग में सदस्य वित्त/वित्तीय सलाहकार	सदस्य
9	सभी संबद्ध संस्थानों के प्रधानाध्यापक	सदस्य
10	सरकार द्वारा होटल और खाद्य प्रबंधन के कैटरिंग और पोषण में दो विशेषज्ञों की नियुक्ती	रिक्त
11	चार सदस्य होटल और खानपान उद्योग में से (सरकार द्वारा नामित)	रिक्त
12	एन सी एच एम सी टी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी	सदस्य
13	निदेशक एन सी एच एम सी टी की (ए एंड एफ)	सदस्य सचिव

शासी बोर्ड:

बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, के रूप में सरकार द्वारा गठित, अनु सचिव (पर्यटन) की अध्यक्षता राष्ट्रीय परिषद के व्यापार का आयोजन करता है, भारत सरकार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वो भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के एक सदस्य है, परिषद के विदेशी दैनंदिन मामलों, एन सी एच एम सी टी की एसोसिएशन (सोसायटी) के ज्ञापन के नियम 28 में परिभाषित के रूप में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की संरचना निम्नानुसार है:

1	सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष	सचिव (पर्यटन)
2	समिति में भारत सरकार के प्रतिनिधि	क) अपर महानिदेशक (पर्यटन) ख) निदेशक-टेक शिक्षा, एचआरडी मंत्रालय ग) महानिदेशक (रोजगार प्रशिक्षण), श्रम मंत्रालय घ) अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, आईटीडीसी ड) निदेशक, आईआईटीएम
3	संबंधित प्रशासनिक विभाग में सदस्य वित्त/वित्तीय सलाहकार	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, पर्यटन
4	राज्य की सरकार में जो संबद्ध संस्थानों स्थित हैं के प्रत्याशियों में से दो सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए	क) प्रधान सचिव (पर्यटन), बिहार सरकार ख) सचिव (पर्यटन), केरल सरकार
5	4 संबद्ध संस्थानों के प्रिंसिपलों	क) प्राचार्य, आई एच एम , गोवा ख) प्राचार्य, आई एच एम, कोलकाता ग) प्राचार्य, आई एच एम, बेंगलुरु घ) प्राचार्य, आई एच एम, चंडीगढ़
6	होटल और खाद्य प्रबंधन में एक विशेषज्ञ, खानपान और पोषण, सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया जाना	श्री. डी. के. बेरी, व्यावसायिक विकास उपाध्यक्ष, ताज होटल समूह
7	होटल और खानपान उद्योग का प्रतिनिधित्व करने, दो सदस्यों को सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाना	क) डॉ. (श्रीमती) ज्योत्सना सूरी, अध्यक्ष और एमडी, होटल ललित समूह, नई दिल्ली ख) महासचिव, एफएचआरएआई
8	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	अतिरिक्त महानिदेशक (पर्यटन)
9	बोर्ड के सचिव	निदेशक एन सी एच एम सी टी की (ए एंड एफ)
10	निदेशक (अध्ययन), NCHMCT और निदेशक, एसओटीएचएसएम, इग्नू को विशेष आमंत्रित कर रहे हैं	